सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या-12/2022/801/तीस-4-2022

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वर लू,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   उ0प्र0।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक 26 मई, 2022

विषय- ''प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र'' निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि वायु प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कार्य राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। केन्द्रीय मोटरयान नियमावली,1989 के नियम-115 में प्रदूषण के मानक निर्धारित किये गये हैं तथा नियम-115(7) में यह प्राविधान है कि पंजीयन के एक वर्ष पश्चात प्रत्येक वाहन पर ''प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र'' रखा जायेगा। प्रदूषण की जांच हेतु प्रत्येक जनपद में निजी क्षेत्र में ''प्रदूषण जांच केन्द्र'' स्थापित है, जहाँ वाहन के प्रदूषण की जांच कराकर ''प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र'' प्राप्त किया जा सकता है।

2. परिवहन आयुक्त द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रदेश में पंजीकृत कुल 60,965 शासकीय वाहनों में से मात्र 12,972 वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र वैध हैं जो केन्द्रीय मोटरयान नियमावली के संगत प्राविधानों के अनुपालन के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

राज्य सड़क सुरक्षा परिषद् की बैठक में भी मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा सड़क सुरक्षा के साथ प्रदूषण नियंत्रण की कार्यवाही को भी अभियान के रूप में संचालित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

3. अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह अनुरोध करने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन पंजीकृत शासकीय वाहनों को ''प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र'' से 15 दिनों के अंदर आच्छादित कराने के संबंध में अपने स्तर से समुचित निर्देश निर्गत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

एल. वेंकटेश्वर लू
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों को अपने स्तर से समुचित निर्देश निर्गत करने का कष्ट करें।

(2) समस्त मंडलायुक्त, उ0प्र0 को समुचित अनुश्रवण हेतु।

(3) समस्त जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त (लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, वाराणसी एवं कानपुर) /समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे जनपद के समस्त शासकीय वाहनों को ''प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र'' से 15 दिन में आच्छादित कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in